

अधिसूचना संख्या 185/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1972(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के एस.ओ. 1794(ई) दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना द्वारा; केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 10 पर "व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया, 19, 39वां "ए" क्रॉस, 11वां मेन, IV 'टी' ब्लॉक, जयनगर, बेंगलुरु - 560 041" द्वारा "आदिवासी स्कूल और कल्याण पहल" को वित्तीय वर्ष 2009-2010 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे एस.ओ. सं. 2358(ई) दिनांक 29.09.2010 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त करने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे एस.ओ. सं. 3129(ई) दिनांक 17.10.2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त करने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना एस.ओ. सं. 2358(ई) दिनांक 29.9.2010 के तहत परियोजना लागत 6.42 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.51 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि परियोजना की लागत ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है

और जहां सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत परियोजना की लागत को संशोधित करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, - उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ 1794(ई) दिनांक 23.10.2007 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, कॉलम (4) में क्रम संख्या 10 के खिलाफ तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत अधिकतम कटौती की अनुमति के संबंध में, अक्षरों, आंकड़ों और शब्द "रु. 11.51 करोड़" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द "21.99 करोड़" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

■ ■